अनवान किरण कौर बनाम परमजीत कौर व अन्य
प्रकरण संख्या 42/2020

21.9.21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि– वाद, वादीया किरण कौर द्वारा अपने आप को प्रतिवादिया संख्या 01 के मृतक पति दर्शन सिंह की दूसरी पत्नी व प्रथम श्रेणी की वारिस बताते हुए वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने के लिए प्रतिवादिया संख्या 01 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादिया संख्या 01 परमजीत कौर, मृतक दर्शन सिंह की विवाहिता पत्नी है। प्रतिवादिया संख्या 01 के पति दर्शन सिंह ने, प्रतिवादिया संख्या 01 के अलावा किसी अन्य से विवाह नहीं किया और ना ही प्रतिवादिया संख्या 01 ने दर्शन सिंह के जीवनकाल में उसे दूसरी शादी करने की कोई सहमति दी। वादिया किरण कौर मृतक दर्शन सिंह की पत्नी नहीं है। उसने बिना अधिकार के मृतक दर्शन सिंह की सम्पत्ति को हडप करने के गलत लालच से यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हिन्दू (सिख) पति–पत्नी एक–दूसरे के जीवनकाल में बिना विवाह विच्छेद करवाये दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इस प्रकार हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधान मृतक दर्शन सिंह वा वादिया को, प्रतिवादिया संख्या 01 के जीवित रहते हुए एवं प्रतिवादिया संख्या 01 व दर्शन सिंह का विवाह अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह करने की आज्ञा प्रदान नहीं करते हैं तथा वादिया को उक्त तथाकथित विवाह से पत्नी होने का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। वाद वादिया सिविल प्रकृति का है, क्योंकि वादिया अपने आप को मृतक दर्शन सिंह की दूसरी पत्नी व प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी बताती है। केवल सिविल न्यायालय ही यह तय कर सकता है कि वादिया, मृतक दर्शन सिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस है अथवा नहीं। इसलिए कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होने के कारण निरस्त होने योग्य है। इस प्रार्थना पत्र के द्वारा, जिस आधार पर वाद निरस्त करवाये जाने की प्रार्थना की जा रही है, उसके लिए केवल मात्र वाद में उल्लेखित अभिकथनों का अवलोकन ही पर्याप्त है, किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अतः वाद पत्र को इसी स्तर पर निरस्त किए जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत कमशः– SC AIR 1988 PAGE 644 प्रस्तुत किये। अधिवक्ता अप्रार्थी/ वादी ने जवाब बहस में कथन किये कि प्रतिवादिया/प्रार्थीया के कोई नरीना अथवा मदीना सन्तान नहीं होने के कारण खातेदार दर्शन सिंह ने प्रार्थीया की सहमति से दूसरा विवाह किया था और बतौर पति–पत्नी के वादिया दर्शन सिंह के साथ रही किन्तु सहवास से वादीया को कोई पुत्र/पुत्री नहीं हुआ। प्रतिवादिया की सहमति से स्थिति एवं परिस्थितियों के मध्य नजर वादिया का विवाह हुआ था जो विधिनुसार विधिसंगत था विवाह के अस्तित्व होने का प्रश्न तथ्य एवं विधि का निश्चित प्रश्न है जो साक्ष्य उपरान्त ही तय किया जा सकता है। वाद के प्रारम्भिक स्तर पर केवल वाद में कथित तथ्यों को देखा जाना होता है जो वाद श्रीमान जी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा एवं बंटवारा करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान जी को हासिल है। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा न्यायिक दृष्टांत कमशः– (1) 2016-17 RRT PAGE 605, (2) DNJ 2013 (REVENUE) PAGE 324, (3) 2019 CJ (CIV.) (SC) 35, (4) RRT 2016-17 PAGE 575 प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विभिन्न बिन्दुओं में से इस प्रकरण में न्यायालय को इस बिन्दू पर विचारण करना है कि क्या वाद वादी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है अथवा नहीं। यह सुस्थापित है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण में केवल वाद पत्र के अभिकथनों को ही पढा जाता है एवं उनके सही होने की अवधारणा की जाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाता है। वाद

सहायक कलक्टर एव

हाजा ने वादिया द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 04 में यह अभिकथन किये है कि वादिया मृतक की द्वितीय पत्नी होने के कारण मृतक की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है।

अतः इस वाद में वादिया द्वारा चाहा गया अनुतोष इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वादिया मृतक दर्शन सिंह की द्वितीय पत्नी होने की हैसियत से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। इसका निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होने से विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादिया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर